प्रेस विज्ञप्ति
01.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय–II ने मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं इसकी संबद्ध संस्थाओं से संबंधित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत दिनांक 29.09.2026 को एस. नवीन कुमार एवं एस. मुथुसेल्वम को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत प्रदान की।

ईडी द्वारा जांच तमिलनाडु पुलिस की जिला अपराध शाखा, इरोड द्वारा भारतीय दंड संहिता तथा तमिलनाडु संरक्षण हित जमाकर्ताओं (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम (टीएनपीआईडी अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि एस. नवीन कुमार, एस. मुथुसेल्वम एवं उनके सहयोगियों ने यूनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट वैली एग्रो फर्म्स तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के बैनर तले यूएनआई, एफएनपी, एफएपी एवं यूएनआर नामक निवेश योजनाएं तैयार कीं और संचालित कीं। निर्दोष निवेशकों को कृषि उत्पादों के निर्यात से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। जांच में पता चला कि यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं संबंधित संस्थाओं ने कोई महत्वपूर्ण निर्यात गतिविधि नहीं की, बल्कि निर्यात लाभ के आधार पर उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों से धनराशि एकत्र करना जारी रखा।

आगे की जांच से पता चला है कि लगभग 35,759 निवेशकों से **₹1,417.86 करोड़ (लगभग) की धनराशि जुटाई गई।** यूनिक एक्सपोर्ट्स से संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों में **₹719 करोड़ (लगभग) जमा पाए गए।** निवेशकों की धनराशि को मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स, संबद्ध संस्थाओं, परिवार के सदस्यों एवं निकट सहयोगियों के नाम पर धारित 100 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया।

मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स के प्रोपराइटर एस. नवीन कुमार निवेश योजनाओं के मुख्य सूत्रधार थे तथा बैंकिंग संचालन एवं निवेशकों की धनराशि के आवागमन को नियंत्रित करते थे। बैंकिंग विश्लेषण से पता चला कि **₹390.90 करोड़ (लगभग) को वेतन भुगतान के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि संस्था में केवल चार व्यक्ति कार्यरत थे।** इसके अतिरिक्त, **₹79.56 करोड़ (लगभग) को प्याज एवं जिंसों की खरीद के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि कृषि उत्पादों की वास्तव में कोई खरीद नहीं की गई थी।** इन लेन–देन का उपयोग व्यावसायिक व्यय की आड़ में निवेशकों की धनराशि की लेयरिंग एवं उसे छिपाने के लिए किया गया।

एस. मुथुसेल्वम ने योजनाओं को तैयार करने एवं संचालित करने, निवेशकों से धनराशि जुटाने तथा धनराशि को अन्यत्र भेजने में केंद्रीय भूमिका निभाई। जांच में पता चला कि लगभग ₹42.10 लाख के निवेश के एवज में उसे **₹12.72 करोड़ (लगभग)** रिटर्न, कमीशन, रेफरल लाभ एवं अन्य भुगतानों के रूप में प्राप्त हुए। उसने अपने व्यक्तिगत खातों एवं मेसर्स धन्यश्री एंटरप्राइजेज तथा मेसर्स यूनिवर्स369 इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड सहित संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों की धनराशि प्राप्त एवं वितरित की।

इससे पूर्व, ईडी ने दिनांक 16.06.2026 एवं 17.06.2026 को एस. नवीन कुमार एवं उसके सहयोगियों से जुड़े नौ परिसरों में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया था।

आगे की जांच जारी है।

